



छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक
संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा चतुर्दश सत्र अंक-03

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 जुलाई, 2022

(आषाढ़ 31, शक संवत् 1944)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को बधाई

माननीय अध्यक्ष ने सदन की ओर से नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मू को बधाई दी।

श्री भूपेश बघेल बघेल, मुख्यमंत्री एवं श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष ने भी बधाई दी।

2. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 02, एवं 04 से 08 (कुल 7) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 03 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री अनूप नाग अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 36 तारांकित एवं 74 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

3. बहिर्गमन

(1) तारांकित प्रश्न संख्या 07 पर चर्चा के दौरान श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, (जे) के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया।

(2) तारांकित प्रश्न संख्या 08 पर चर्चा के दौरान श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया ।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार अनुसार छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड तथा उसकी सहायक कंपनियां -

- (i) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड,
- (ii) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड,
- (iii) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड तथा
- (iv) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड

का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019,

(2) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (क्रमांक 10 सन् 1994) की धारा 28 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20,

(3) श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री ने कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21,

(4) श्री अमरजीत भगत, खाद्य, नागरिक, आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 19 एवं 30 के अंतर्गत अधिसूचना क्रमांक एफ 10-64/खाद्य/2009/29-1, दिनांक 1 सितम्बर, 2016 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आंतरिक शिकायत निवारण) नियम, 2016 के नियम (9) के उपनियम (छ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22,

पटल पर रखे ।

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

5. पृच्छा

सर्वश्री शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल एवं अन्य प्रतिपक्षी सदस्यों ने प्रदेश के सहायक शिक्षकों एवं अन्य शासकीय कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर किये जाने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की।

माननीय सभापति ने सूचित किया कि माननीय सदस्यों के विचार सुनने के पश्चात् मैंने इसे अग्रहण कर दिया है ।

(निरंतर व्यवधान होने से सदन की कार्यवाही 12.24 बजे स्थगित की जाकर 12.33 बजे समवेत हुई ।)

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने कथन किया कि उनके द्वारा मुख्यमंत्री के विरुद्ध एवं संसदीय सचिवों के संबंध में विशेषाधिकार भंग की सूचना दी है ।

माननीय सभापति ने सूचित किया कि आपकी सूचना विचाराधीन है ।

6. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य ने वन मंडल बिलासपुर में केम्पा के माध्यम से किये गये कार्यों में अनियमितता किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

माननीय सभापति द्वारा ध्यानाकर्षण सूचना हेतु सर्वश्री धर्मजीत सिंह, बृजमोहन अग्रवाल एवं सौरभ सिंह, सदस्य का नाम पुकारा गया ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने शासन की ओर से तथ्यात्मक जानकारी नहीं आने पर आपत्ति ली । मैंने ध्यानाकर्षण सूचना में रायपुर से संबंधित मामले उठाये थे, लेकिन जवाब में रायपुर से संबंधित मामलों का कोई जवाब नहीं दिया गया है । इस ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा नहीं हो सकती है, इसलिये इसे अगले दिन लेने तथा सदन की कार्यवाही स्थगित करके परीक्षण करा लेने का आग्रह किया ।

सभापति ने सदन को सूचित किया कि मैं इसका परीक्षण करा लूंगा और इसको अगले दिन लिया जावेगा ।

7. नियम 267-क के अन्तर्गत विषय

माननीय सभापति की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

- (1) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
- (2) श्री कुलदीप जुनेजा
- (3) श्री लालजीत सिंह राठिया
- (4) श्री चंदन कश्यप
- (5) श्री अरूण वोरा

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 5 सन् 2022)

श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 5 सन् 2022) पुरः स्थापित किया ।

(2) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 6 सन् 2022)

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 6 सन् 2022) पुरः स्थापित किया ।

(3) छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 7 सन् 2022)

श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 7 सन् 2022) पुरः स्थापित किया ।

(4) छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 8 सन् 2022)

श्री उमेश पटेल, तकनीकी शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 8 सन् 2022) पुरः स्थापित किया ।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

(5) छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 9 सन् 2022)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 9 सन् 2022) पुरः स्थापित किया ।

(6) छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 10 सन् 2022)

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 10 सन् 2022) पुरः स्थापित किया ।

(7) छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 11 सन् 2022)

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 11 सन् 2022) पुरः स्थापित किया ।

(8) छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 12 सन् 2022)

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 12 सन् 2022) पुरः स्थापित किया ।

(9) छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 13 सन् 2022)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 13 सन् 2022) पुरः स्थापित किया ।

(10) छत्तीसगढ़ भू-जल (प्रबंधन और विनियमन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 14 सन् 2022)

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ भू-जल (प्रबंधन और विनियमन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 14 सन् 2022) पुरः स्थापित किया ।

(11) छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 15 सन् 2022)

श्री जयसिंह अग्रवाल, वाणिज्यिक कर (पंजीयन) मंत्री ने छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 15 सन् 2022) पुरः स्थापित किया ।

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया की छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 15 सन् 2022) पर चर्चा, विचार एवं पारण हेतु 30 मिनट का समय निर्धारित किया ।

में समझता हूं सदन इससे सहमत है ।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

9. वित्तीय वर्ष 2022-2023 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि-अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी । परंपरानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उन पर एक साथ चर्चा होती है । अतः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वे सभी मांगों एक साथ प्रस्तुत कर दें।

(सदन द्वारा सहमति दी गई।)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि :-

दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 39, 41, 42, 47, 51, 55, 56, 58, 64, 65, 67, 68, 69, 79, 80 एवं 81 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को कुल मिलाकर दो हजार नौ सौ चार करोड़, इकतालीस लाख, सत्तर हजार, पांच सौ इकहत्तर रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की। (जारी)

(1.30 बजे से 03.00 बजे तक अंतराल)

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री मोहन मरकाम, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, सर्वश्री अरुण वोरा, सौरभ सिंह,

(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री देवेन्द्र यादव, पुन्नूलाल मोहले, शैलेश पाण्डेय, धर्मजीत सिंह,

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से आज की कार्यसूची में सम्मिलित पद क्रमांक 8 का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री रामकुमार यादव, केशव प्रसाद चन्द्रा, डॉ. लक्ष्मी ध्रुव, श्रीमती इंदू बंजारे, श्रीमती संगीता सिन्हा, श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा, श्री प्रमोद कुमार शर्मा, श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अनुपूरक अनुदान की मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. शासकीय विधि विषयक कार्य**छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2022 (क्रमांक 16 सन् 2022)**

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2022 (क्रमांक 16 सन् 2022) पुरः स्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2022 (क्रमांक 16 सन् 2022) पर विचार किया जाये।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खंड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

शुक्रवार, 22 जुलाई, 2022

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2022 (क्रमांक 16 सन् 2022) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

11. अशासकीय कार्य आगामी दिवस में लिया जाना

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया की संसदीय कार्यमंत्री एवं सदस्यों की सहमति से अशासकीय कार्य आगामी दिवस में लिये जायेगे ।

रात्रि 07.23 बजे विधान सभा की कार्यवाही, सोमवार, दिनांक 25 जुलाई, 2022 (श्रावण-3, शक संवत् 1944) के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा